प्रेस विज्ञप्ति
06.03.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स इंटाइम प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड) से जुड़े धन शोधन मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 06.03.2026 को एक अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया है, जिसमें लगभग 206.40 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है। अस्थायी रूप से कुर्क की गई संपत्तियों में लगभग 8.3 एकड़ भूमि के भूखंडों के साथ-साथ हरियाणा के सोनीपत के कामसपुर में स्थित वाणिज्यिक इकाइयां शामिल हैं। ये संपत्तियां मेसर्स टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और उसकी सहयोगी कंपनियों के स्वामित्व में हैं।

ईडी ने दिल्ली पुलिस और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), दिल्ली द्वारा दर्ज की गई छब्बीस (26) एफआईआर/चार्जशीट के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर में लगाए गए आरोपों के अनुसार, मेसर्स टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इसके प्रमोटरों और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों ने कई घर खरीदारों को वादे के अनुसार फ्लैट और यूनिट देने में विफल रहकर और यहां तक कि एक परियोजना में 16-18 साल की देरी के बाद भी धोखा दिया और धोखाधड़ी की।

ईडी की जाँच में पता चला कि मेसर्स टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने सोनीपत, हरियाणा में कई वाणिज्यिक/आवासीय प्लॉट/आवास परियोजनाएँ शुरू की थीं और सोनीपत, हरियाणा में तेईस परियोजनाओं में 14,105 ग्राहकों से अग्रिम बुकिंग राशि के रूप में लगभग 4619.43 करोड़ रुपये एकत्र किए थे। ये परियोजनाएँ वर्ष 2005 से 2014 के बीच शुरू की गई थीं। हालाँकि, चार परियोजनाओं के संबंध में अधिभोग प्रमाण पत्र अभी तक नहीं दिए गए हैं और परियोजना "पार्क स्ट्रीट" अभी भी अधूरी है। जाँच में आगे पता चला कि प्रमोटरों/निदेशकों ने घर खरीदारों से एकत्र किए गए पर्याप्त धन को सहायक कंपनियों/पूर्ववर्ती सहायक कंपनियों/भूमि स्वामित्व वाली कंपनियों को भूमि के टुकड़ों की खरीद और अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रिम के रूप में हस्तांतरित कर दिया, बजाय इसके कि वे धन का उपयोग आवासीय/आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए करें। कंपनी ने अपने ऋणों को चुकाने और निवेश करने के लिए भी ग्राहकों के धन का उपयोग किया था। धन के इस हेरफेर के परिणामस्वरूप अंततः कंपनी की परियोजनाओं के निर्माण में देरी हुई, जिससे ग्राहकों को अपनी इकाइयों/भूखंडों का समय पर कब्जा नहीं मिल सका।

इससे पहले इस मामले में मेसर्स टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और उससे संबंधित संस्थाओं की 45.48 करोड़ रुपये की संपत्ति/संपत्ति को भी अस्थायी रूप से कुर्क किया गया था। इसलिए इस मामले में कुल कुर्क 251.88 करोड़ रुपये है।

आगे की जांच जारी है।